



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

CIN-U32201UP1999SGC024928

संख्या : 1161-पें0एवंआर0-28/पाकालि/21-108-पेंशन-31/90(TC-III), दिनांक 28 अगस्त, 2021

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ

निदेशक,
वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ

विषय : उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों तथा केस्को, कानपुर के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2021 से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

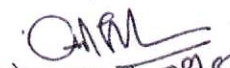
उ0प्र0 राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2021 से महंगाई राहत विद्यमान 17 प्रतिशत की दर से बढ़ा कर 28 प्रतिशत किये जाने की स्वीकृति वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या-6/2021/22099/1401/2020-वित्त अनुभाग-22-वित्त विभाग, दिनांक 24.08.2021 द्वारा प्रदान की गयी है। राज्य सरकार के पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है।

उक्त के अनुक्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से देय पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दरें उपर्युक्त शासनादेश की अनुरूपता में निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्र0सं0	महंगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	महंगाई राहत की देय कुल दर
1	01 जुलाई, 2021	28 प्रतिशत

- 2- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा उसके अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में मान लिया जायेगा।
- 3- दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महंगाई राहत अनुमन्य होगी।
- 4- पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1054-डब्लू0सी0/रा0वि0प0(औ0सं0/उन्नीस)-14(23)एफ/85, दिनांक 16 जून, 1988 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर उक्त अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक(लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः अधिकारियों/राजकीय कोषागार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।
- 5- महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

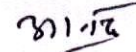

(ए0के0 पुरवार) 28/8
निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या-1161 (I)पें0एवंआर0-28/पाकालि/2021, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कैसको-कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियां।
7. समस्त जिला कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियां।
10. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,



(आनन्द श्रीवास्तव)

अनु सचिव(पें0एवंआर0)